E-mail

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/स्था./बी–1/विविध–185/स्थायीकरण/1882 भोपाल, दिनांक 09/04/2025

//शुद्धि पत्र//

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ मंडी समिति सेवा के सेवकों का स्थायीकरण के सबंध में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक/स्था./बी–1/विविध–185/स्थायीकरण/1875–1877 भोपाल, दिनांक 07/04/2025 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश दिनांक 07/03/2025 अंकित हो गया है।

अतः उक्त जारी पत्र क्रमांक/स्था./बी–1/विविध–185/स्थायीकरण/1875–1877 भोपाल, दिनांक 07/03/2025 के स्थान पर दिनांक 07/04/2025 पढा जावे।

यह शुद्धि पत्र उक्त जारी पत्र का अंश भाग है, जिसे एकसाथ पढा व रखा जावे।

(स्तुति चौहान)
संयुक्त संचालक (स्थापना)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक/स्था./बी–1/विविध–185/स्थायीकरण/1883 भोपाल, दिनांक 09/04/2025

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह–अध्यक्ष मण्डी बोर्ड, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
3. अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
4. अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
6. आदेश नस्ती/बोर्ड स्थापना/वित्त शाखा/आडिट शाखा/नियमन शाखा/पेंशन शाखा/सतर्कता शाखा, मण्डी बोर्ड भोपाल।

संयुक्त संचालक (स्थापना)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/स्था./बी–1/विविध–185/स्थायीकरण/1875-1876 भोपाल, दिनांक 07/03/2025

प्रति,

Email

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)

2. भारसांधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
.....जिला.....(समस्त)

विषयः– प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ मंडी समिति सेवा के सेवकों का स्थायीकरण के सबंध में

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी/3–10/93/एक, भोपाल दिनांक 16 मार्च 1993.

———

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन, जो कि संलग्न है, जिससे शासकीय सेवकों का स्थायीकरण के सबंध में मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए है।

(2) कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 30(1) के तहत् प्रत्येक मंडी समिति अपने संवर्ग के अमले हेतु नियुक्ति प्राधिकारी है। प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में राज्य शासन के मार्गदर्शी निर्देशों का अनुसरण करते हुए स्थायीकरण हेतु कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 80 तथा 30(2) के तहत कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मंडी उपविधि 1987 की कंडिका 34 में निम्नानुसार प्रावधान दिनांक 11.04.2025 तक स्थापित किया जावेः–

"उपविधि 34(च) "कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के लिपिक एवं भृत्य/चौकीदार/स्वीपर संवर्ग के सेवकों को राज्य शासन द्वारा स्थायीकरण के सबंध में जारी मार्गदर्शी निर्देशों का अनुसरण करते हुए "स्थायीकरण" कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा किया जा सकेगा।"

निर्धारित समयावधि के अंतर्गत उक्त उपबंध स्थापित न होने पर धारा 81 के तहत् यह स्वमेव प्रभावी हो जावेगा।

संलग्नः– संदर्भित ज्ञापन।

(कुमार पुरूषोत्तम)
आयुक्त–सह–प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक/स्था./बी–1/विविध–185/स्थायीकरण/1877 भोपाल, दिनांक 07/03/2025

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह–अध्यक्ष मण्डी बोर्ड, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
3. अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
4. अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
6. आदेश नस्ती/बोर्ड स्थापना/वित्त शाखा/आडिट शाखा/नियमन शाखा/पेंशन शाखा/सतर्कता शाखा, मण्डी बोर्ड भोपाल।

आयुक्त–सह–प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

E-mail

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी/3-10/93/एक

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 1993

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों का स्थायीकरण.

संदर्भ.—हाशिए पर बताए अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन.

(1) 226/सी. आर. 180/1 पी. सी. 17-9-1962.

(2) 139/7-1/ओ. एण्ड एम. 29-6-1966.

(3) 8-25/86/का. प्र. सु./1 12-9-1986.

(4) ...9/प्रस/का. प्र. सु./89 31-3-1989.

(5) 6901/3904/ एक (1) 12-10-72.

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि शासकीय सेवकों के स्थायीकरण की कार्यवाही, विभागों द्वारा नियमानुसार, समय पर नहीं की जा रही है. विभागों में स्थायीकरण की कार्यवाही में विलम्ब एवं शिथिलता के कारण कई शासकीय सेवक अस्थायी एवं स्थानापन्नता की हैसियत में ही, लम्बी अवधि तक सेवा करने के उपरांत, सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं. यह स्थिति उचित नहीं है.

2. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, स्थायीकरण के संबंध में, हाशिए में बताए परिपत्र जारी किए गए हैं. कई बार स्थायीकरण नहीं करने का एक कारण, स्थायी पदों की अनुपलब्धता बताया जाता है. परिपत्र दिनांक 17-9-62 में कहा गया है कि चतुर्थ वर्ग के अस्थायी पदों में से 50% तथा तृतीय वर्ग एवं राजपत्रित श्रेणी के अस्थायी पदों में से 80% पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किया जाए. परिपत्र दिनांक 12-9-86 द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में नवीन पदों के निर्माण का प्रस्ताव, म. प्र. वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम 73 से 78 तक में वर्णित निर्देशों के अनुसार, उसमें उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जाकर, वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाए एवं नवीन पदों का निर्माण स्थायी रूप से ही किया जाए. इस परिपत्र द्वारा यह भी निर्देश जारी किए गए थे कि पिछले तीन वर्षों से, जिन पदों के बारे में लगातार निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त की जाती रही है, भविष्य में भी निरंतर रखने की संभावना है, अतः इस प्रकार के पदों की, स्थायी रूप से निर्मित किए जाने पर विचार कर, अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाए.

3. कतिपय विभागों में, संभवतया अधिकारियों को स्थायीकरण की सही प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण, सभी प्रकार के स्थायीकरण के प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति के लिये भेज दिये जाते हैं. 12-10-72 के परिपत्र के अनुसार जो नियुक्तियां सीधी भरती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से परिवीक्षा पर की गई हों, उन पर कार्यरत शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के लिये लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्कता नहीं है. इन मामलों को छोड़कर, शेष सभी मामलों में लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही स्थायीकरण आवश्यक है.

(6) अदिसूचना क्र. एवं दिनांक 3-15-74-3-एक 9-12-1974 तथा ज्ञापन क्र. एवं दिनांक.

(7) 3-6/77/ 3/1 30-5-1977

(8) 288/636/1/ (3)/79 6-6-1979 अधि.क्र. एवं दिनांक.

4. **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के स्थायीकरण संबंधी प्रावधान:—**

(अ) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षाकाल की अवधि पूरी होने पर स्थायी करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिये. परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को स्थायीकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो स्थायी करने के आदेश निकालना चाहिये. यदि उनको स्थायी करने के लिये स्थायी पद उपलब्ध न हों, तो उनके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसके परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उन्हें स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ही परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थायी करने के आदेश नहीं निकाले जा सके. भविष्य में जैसे ही उनके लिये स्थायी पद उपलब्ध होंगे, वैसे ही उन्हें स्थायी कर दिया जायेगा.

(9) सी/3-4/87/3/1, 7-5-1987 तथा सा. क्र. एवं दिनांक.

(10) सी/3-4/87/3/1 10-6-1987.

(ब) कोई व्यक्ति, जो पहले ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाए, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिये सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षण पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा. परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर एवं संबंधित शासकीय सेवक के उपयुक्त पाए जाने पर उसे स्थायी किया जायेगा, किन्तु यदि स्थायी पद उपलब्ध न हो तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि "स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जायेगा."

5. **स्थायीकरण के लिये समिति** :— पदोन्नति से नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन करने का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2501/2190/86/ (एक) 1, दिनांक 24-9-86 में किया गया है. उक्त परिपत्र के अनुसार स्थायीकरण के प्रकरणों में वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये जो लोक सेवा आयोग एवं विभागों द्वारा पदोन्नति के प्रकरणों में अपनाई जाती है. इन शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के प्रकरणों के निपटारे के लिये एक समिति का गठन किया जाए जिसमें संबंधित विभाग के एवं लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि हों. स्थायीकरण समिति की बैठक में लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि के भाग लेने के फलस्वरूप, उनकी सिफारिश के संबंध में पुनः लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा.

6. **स्थायीकरण के लिये गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन** :— जहां तक स्थायीकरण के लिये गोपनीय प्रतिवेदनों के देखने का प्रश्न है, इस संबंध में समुचित निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-4/83/3/1, दिनांक 2-7-1983 में दिये गए हैं, जिसके अनुसार स्थायीकरण करने की निर्धारित तिथि से, दो वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरांत उपयुक्तता निर्धारित की जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए.

7. (अ) अतः सामान्य प्रशासन विभाग के उपयुक्त परिपत्रों के अनुसार, अस्थायी/स्थानापन्न शासकीय सेवक, जिन्हें अब तक नियमानुसार स्थायीकरण की पात्रता प्राप्त हो चुकी है, को स्थायी करने की कार्यवाही दिनांक 30-4-93 तक निश्चित रूप से सम्पन्न हो जाए.

(ब) इस बारे में एक प्रमाण-पत्र इस विभाग को 10 मई, 1993 तक भिजवाया जाए, कि दिनांक 1-5-93 की स्थिति में, उपरोक्तानुसार स्थायी पदों का निर्माण कराते हुए, पात्रता प्राप्त शासकीय सेवकों का स्थायीकरण कर दिया गया है.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी/3-10/93/3/एक

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 1993

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र., भोपाल.

---

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
   राज्यपाल के सलाहकारों के निज सचिव.
   सचिव विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल.

---

3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र., भोपाल.
4. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर.
5. महाधिवक्ता, म. प्र., जबलपुर.
6. प्रमुख सचिव,/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
7. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी म.प्र. सचिवालय, भोपाल.
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.